



न्यू मैक्सिको में आबो मिशन के अवशेष सालीनस पैब्लो मिशनस नैशनल मॉन्यूमेंट का भाग हैं। समुद्र स्तर से 6100 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्मारक कथित तौर पर चौदहवीं सदी के हैं। उस समय यह क्षेत्र एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था। सन् 1962 में इस क्षेत्र को नैशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क घोषित किया गया था। यह क्षेत्र 370 एकड़ में फैला है और यहां कई ऐसे पैब्लो अवशेष हैं जिनका अभी भी उत्खनन नहीं हुआ है। इनकी संख्या और आकार को देखकर कहा जा सकता है कि, वर्ष 1581 में जब स्पैनिश यहां आए थे तब यहां फलता- फूलता समुदाय रहता था। वर्ष 1622 में फ्रे फ्रैन्सिस्को फोन्ते को आबो मिशन पर भेजा गया था। स्थानीय लोगों के साथ काम करते हुए फोन्ते ने 1623 में एक छोटा कॉन्वेंट और चर्च बनाया। इस चर्च के कॉन्वेंट में एक गोलाकार कीवा था। कीवा असल में एक भूमिगत गोल चैंबर था जिसका इस्तेमाल यहां के पुरुष धार्मिक कार्यों के लिए करते थे। आबो का सबसे पहला एतिहासिक उल्लेख सन 1583 का है, जब स्पैनिश खोजी एंटोनियो डी एस्पेहो यहां आया था। स्पैनिश मिशन का काम 1622 में शुरू हुआ और 1629 में पहला चर्च बना। लेकिन 1672 में इस क्षेत्र को त्याग दिया गया, संभवतया सूखे और अपेची (स्थानीय मूल निवासियों का समूह) के हमले की वजह से। इतिहास के अनुसार, इसके बाद आबो के लोग रिओ ग्रैंड वैली चले गए जहां 1680 में पैब्लो बगावत में उन्होंने स्पेन का साथ दिया था। सन् 1938 में सरकार ने आबो का अधिग्रहण कर लिया व एतिहासिक स्थल के रूप में इसका संरक्षण किया।

अदालती आदेश के बावजूद नदी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया

राजस्थान हाई कोर्ट ने कलेक्टर और एस.डी.ओ. को अवमानना नोटिस जारी किया

जयपुर, 24 दिसंबर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद झुंझुनू के नाटास गांव के पास काटली नदी की करीब आठ सौ बीघा जमीन पर अतिक्रमण नहीं हटाने पर स्थानीय कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुडी, उदयपुरवादी एसडीएम रामसिंह राजवत और गुडगौडजी तहसीलदार गजेन्द्र सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस एम.एम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारतीय की खंडपीठ ने यह आदेश सुमित्रा की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर टोलिया और अधिवक्ता हिमांशु टोलिया ने अदालत को बताया कि, काटली नदी की कुल करीब 17 सौ बीघा जमीन में से करीब आठ सौ बीघा

जमीन पर स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। इसके चलते नदी के बहाव क्षेत्र में पानी नहीं आता और नदी सूख रही है। नदी भूमि पर लोगों ने कुर्छ, टय्यूबवेल भी खोद लिए

■ यह मामला झुंझुनू के नाटास गांव में काटली नदी के पास की 800 बीघा जमीन के अतिक्रमण का है।

■ बताया जाता है कि, काटली नदी की 1700 बीघा जमीन में से 800 बीघा पर स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इससे नदी के बहाव क्षेत्र में पानी आना बंद हो गया है।

ही अवमानना याचिका में कहा गया कि पूर्व में हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल को आदेश दिए थे कि

वह अतिक्रमियों को सुनवाई का मौका देकर तीन माह में अतिक्रमण हटाने पर निर्णय करे। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायत भी दी गई। इसके बावजूद भी

अवमाननाकर्ता अफसरों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

क्या शशिकला “चिनम्मा” अन्नाद्रमुक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) फायदा उठाने के लिए अपनी चालें चल रही हैं। समन्वयक एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम को पार्टी से बाहर किए जाने के बाद अन्नाद्रमुक का नेतृत्व अब पूर्ण रूप से पलानिस्वामी के हाथों में है। पलानिस्वामी अब एक तरह से कमजोर पड़ चुके हैं और आगामी लोकसभा चुनाव

वोटों का जिनना बिखराव होगा, सत्तारूढ़ द्रमुक (डी.एम.के.) और उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के लिए उतना ही बेहतर होगा। इसीलिए अन्नाद्रमुक की गतिविधियों पर द्रमुक बारीकी से नजर रखे हुए हैं और ए.आई.ए.डी.एम.के. नेतृत्व में आसन्न किसी विधानस से उसे खुशी ही होगी। यदि अन्नाद्रमुक चुनाव हार जाती है तो वह शशिकला अपनी शपथ को पूरा करने के लिए राजनीतिक चाले चल सकती हैं जिन्हें जयललिता शासन के दौरान सत्ता की बैक पावर माना जाता था। अब यह देखना शेष है कि शशिकला वास्तव में कितनी घातक हो सकती हैं।

तमिलनाडू की राजनीति को निकट से जानने वाले शशिकला को एक ऐसी ताकत मानते हैं जो क्षीण हो चुकी है। उनके भतीजे टी.टी.वी. दिन करन ने अपनी खुद की क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी, लेकिन वर्ष 2021 के विधानसभा

लीक हुए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आगामी 29 जनवरी को दोबारा होगा।

आर.पी.एस.सी ने कहा है कि, परीक्षा की शुचिता भंग करने का प्रयास करने वालों पर सख्त कार्यवाही की गई है।

इस संबंध में आयोग की फुल कमिशन बैठक में आरोपी अभ्यर्थियों की वर्तमान परीक्षा निरस्त करते हुए प्राथमिक तौर पर सदैव के लिए परीक्षाओं से वंचित करने का निर्णय लिया गया है।

आयोग ने अभ्यर्थी हित में स्थापित की गई परीक्षा की नई लिथि की घोषणा भी कर दी है। अब ग्रुप-सी की घोषणा ज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान परीक्षा का आयोजन 29 जनवरी 2023 को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना यथा समय जारी कर दी जाएगी।

आगामी 26 एवं 27 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षाओं में विशेष सुरक्षा व्यवस्था एवं अहतितायत बरतने के दिशा निर्देश भी प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को दिए जा चुके हैं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) है लेकिन हम जो कुछ कहते हैं, उसकी वास्तविकता को यह कभी नहीं दिखाता, क्योंकि पर्दे के पीछे से, उसे अपना मुँह रखने का हुकम दिया गया है।..... लेकिन यह देश एक है, हर व्यक्ति मिल-जुल कर रहना चाहता है।

कमल हासन, जो “मक्कल नीधी मय्यम” के संस्थापक हैं, ने कहा कि शुरू-शुरू में, लोग उनसे यह कहने आये थे कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना तथा गांधी के साथ पैदल चलना उनकी एक बड़ी राजनैतिक गलती होगी। उन्होंने आगे कहा, मैंने स्वयं से कहा कि इस समय देश को मेरी जरूरत है। मेरी अन्तरात्मा की आवाज ने कहा, कमल, भारत को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की मदद करो।”

अभिनेता कमल हासन राजनैतिक गठबंधन के बारे में कुछ नहीं बोले। उनकी पार्टी, जिसने अपना पहला चुनाव अप्रैल, 2021 में, तमिलनाडु में लड़ा था, इस चुनावी लड़ाई में हार गई थी।

जहाँ भारत जोड़ो यात्रा ने रास्ते में कई गतिरोधों का सामना किया है, लेकिन इसकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती आ रही है, और यात्रा

की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता से कांग्रेस के विरोधी, खासतौर से वे लोग, जो “भारत के विचार” का जबरदस्त विरोध करते हैं, व्यकुल एवं उदास हो गये हैं।

भारत जोड़ो यात्रा तथा इसके नेता की बढ़ती जा रही स्वीकार्यता का साफ संकेत उन भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो इसकी कमियाँ दूढ़ने के लिये, इस यात्रा का गहन विश्लेषण कर रहे हैं तथा तस्वीरों की फोटोशॉपिंग तथा वीडियोज में घालमेल करने की सीमा तक पहुँच गये हैं तथा इस अभियान को नकारात्मक रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। लेकिन कांग्रेस अपने इस मिशन को जारी रखने के संकल्प पर अटल बनी हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि कोई भी चीज भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ते रहने से नहीं रोक सकती। उन्होंने भाजपा से कहा कि वह “कोविड महामारी के नाम पर राजनीति करना” तथा पदयात्रा को “रोकने” की कोशिश करना बन्द कर दे, जो शनिवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश कर गई है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राहुल गांधी को बदनाम करने की तथा

पांच देशों से आने वालों के लिए आर.टी.पी.सी.आर टैस्ट अनिवार्य

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर। दुनिया के कई देशों में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और पूरी सावधानी बरत रही है। इसके मद्देनजर अब चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आर.टी.-पी.सी.आर. टैस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा है कि अगर इन देशों के किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं या टैस्ट पांजिटिव पाया जाता है तो उन्हें तुरंत क्वारंटीन कर दिया जाएगा।

चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी देने के लिए कोविड -19 एयर सुविधा फॉर्म भरना अनिवार्य किया गया है।

आधार व पैन कार्ड लिंकिंग

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (वार्ता)। आयकर विभाग ने सभी पैनधारकों से जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं से 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने की अपील करते हुये आज कहा

■ आधार विभाग ने कहा है कि, 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो ऐसे पैन कार्ड बंद हो जायेंगे।

विभाग ने यहां कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। विभाग ने कहा कि जो अनिवार्य है, वह आवश्यक है। दर न करें, आज ही लिंक करें।

“हाथ से हाथ मिलाओ” कार्यक्रम आखिर कैसे संचालित होगा

ना जिलों में और ना ही ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है

जयपुर, 24 दिसम्बर (का.प्र.)। भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद कांग्रेस ने एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। ब्लाक और जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है, “हाथ से हाथ मिलाओ,” लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर राजस्थान में बड़ी असमंजस की स्थिति है कि, आधिकार जिला और ब्लॉक स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाएगा कौन ?

दरअसल सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद तथा उपमुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद लगी इस्तीफों की झड़ी के कारण आनन-फानन में तमाम जिला और ब्लॉक कमेटियों भंग कर दी गईं, प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई, विभाग, प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए। इनमें से अभी तक ब्लॉक और जिला कमेटियों का गठन नहीं हो पाया है। ना ही विभाग, प्रकोष्ठ बन पा रहे हैं। ऐसे में “हाथ से हाथ मिलाओ” कार्यक्रम कैसे तथा कौन लोग आगे बढ़ाएगा, यह भी तय नहीं है।

दरअसल, राजस्थान में जुलाई 2020 में ही प्रदेश कार्यकारिणी, विभाग, प्रकोष्ठ, जिला और ब्लॉक तक की तमाम कमेटियों को भंग कर दिया

गया था। सचिन पायलट के बाद गोविंद सिंह डोटसरा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो गया, लेकिन उन्हें काम करने के लिए नाम मात्र लोगों की कार्यकारिणी मिली, और जिला व ब्लॉक अध्यक्ष बनाने का सिलसिला लंबा नहीं चल पाया। मात्र एक दर्जन के आसपास जिला अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उनमें से भी कूलिंग पीरियड के कारण जिला अध्यक्षों को बदलने की जरूरत आ गई। ऐसे में इस समय सिर्फ पांच जिला अध्यक्ष हैं, वही 400 ब्लॉक अभी नए

कांग्रेस कमेटी की ओर से दिए गए हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक और जिला स्तर पर कैसे होगा। वैसे कहा तो यह जा रहा है कि, निवर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष और निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्षों से ही इन कार्यक्रमों का संचालन कराया जाएगा और विधायक और विधायक प्रत्याशी इनको सहयोग करेंगे।

वैसे एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि, आने वाले दिनों में 15 जनवरी के बाद शायद कुछ जिला

■ दरअसल सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद तथा उपमुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद लगी इस्तीफों की झड़ी के चलते आनन-फानन में तमाम जिला और ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कमेटियां भंग कर दी गई थीं।

अध्यक्षों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, कहने को तो कांग्रेस ने यह भी कहा था कि, अब संगठन का विस्तार मंडल स्तर पर किया जाएगा। लेकिन, मंडल स्तर की बात तो बहुत दूर की है, अभी तक तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि, अखिल भारतीय

अध्यक्षों को लेकर फैसला हो जाए, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से कांग्रेस इस समय खींचतान जारी है, उसमें फिलहाल यह होता संभव नहीं लग रहा। यह भी कहा जा रहा है कि, वैसे भी, प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह भंधावा अभी राजस्थान के बारे ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। इसलिए पहले वे इस बारे में फोडबैक लेंगे,

20 साल की टीवी एक्ट्रेस टुनिशा शर्मा ने शूटिंग के सेट पर खुदकुशी की

टुनिशा शर्मा अलीबाबा: दास्तान-ए काबुल में लीड रोल निभा रही थीं

मुंबई, 24 दिसम्बर। अलीबाबा: दास्तान-ए काबुल फेम 20 साल की टीवी एक्ट्रेस टुनिशा शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। टुनिशा इस वक्त सब टीवी के शो दास्तान ए काबुल में लीड रोल प्ले कर रही थीं ऐसे में उन्होंने ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया इस बात से सब हैरान हैं।

टुनिशा ने शो के सेट पर ही ये कदम उठाया और शो के लीड एक्टर के मेकअप रूम में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। हालांकि पुलिस के मुताबिक वो बाथरूम में मृत पाई गईं हैं। पुलिस के मुताबिक ये बात शनिवार की दोपहर 3.45 की है। जिसके बाद उन्हें 4.20 पर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हालांकि इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। पुलिस अब

■ टुनिशा ने शो के लीड एक्टर के मेकअप रूम में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी।

■ पुलिस के मुताबिक वो बाथरूम में मृत पाई गईं। पुलिस के मुताबिक यह बात शनिवार की दोपहर 3.45 की है। टुनिशा को 4.20 पर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मिला। ऐसे में ये उनके लिए काफी अच्छा समय था। वो फेमस होती जा रही थीं।

मौत से महज कुछ देर पहले ही टुनिशा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक मोटिवेशनल पोस्ट लिखा था। हालांकि फिर कुछ देर बाद उन्होंने खुद ही आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया, जिसके बाद अब फैसला यह कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती।

श्रीकृष्ण की मूर्तियाँ खोजने के लिए आगरा की मस्जिद का सर्वे कराया जायेगा?

मथुरा, 24 दिसम्बर। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने एक बार फिर दावा किया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मुसकर की है। अदालत में दर्ज किए गए दवावे में वादी महेंद्र प्रताप सिंह और वृंदावन निवासी श्यामा नंद पंडित उर्फ

मथुरा, 24 दिसम्बर। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने एक बार फिर दावा किया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मुसकर की है। अदालत में दर्ज किए गए दवावे में वादी महेंद्र प्रताप सिंह और वृंदावन निवासी श्यामा नंद पंडित उर्फ

शिवचरन अवस्थी ने केंद्रीय सचिव दिल्ली, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा के अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मथुरा के निदेशक के माध्यम से भारत

उपसौदियों पर सभी का आवगमन बंद किया जाए। अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 23 जनवरी, 2023 की तारीख मुसकर की है। अदालत में दर्ज किए गए दवावे में वादी महेंद्र प्रताप सिंह और वृंदावन निवासी श्यामा नंद पंडित उर्फ

■ श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने मथुरा फास्ट ट्रैक कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि, औरंगजेब ने केशव मंदिर तुड़वाकर मूर्तियाँ मस्जिद की सीढ़ियों में दबवा दी थीं।

शिवचरन अवस्थी ने केंद्रीय सचिव दिल्ली, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा के अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मथुरा के निदेशक के माध्यम से भारत

संघ को प्रतिवादी बनाया है। वादी ने कहा कि मुगल शासक औरंगजेब ने सन 1670 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बंद ठाकुर केशवदेव के मंदिर को विध्वंस करा दिया था। मंदिर में स्थापित कीमती रत्नजडित छोटे एवं

बड़े देव विग्रहों को आगरा ले जाया गया, जिन्हें लाल किले की बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया। उन्होंने याचिका में कहा कि देव विग्रह आज भी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन हैं, जो प्रतिवादीगण के अधीन है।

बड़े देव विग्रहों को आगरा ले जाया गया, जिन्हें लाल किले की बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया। उन्होंने याचिका में कहा कि देव विग्रह आज भी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन हैं, जो प्रतिवादीगण के अधीन है।

वादी ने इस संबंध में कई ऐतिहासिक साक्ष्यों का भी हवाला दिया है।

वादी ने कहा है कि इस संबंध में औरंगजेब के मुख्य दरबारी मुस्ताक खान द्वारा लिखित पुस्तक ‘मासर ई आलमगीरी’ में उल्लेख किया गया है, जिसका यदुनाथ सरकार ने अरबी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उनके अलावा प्रख्यात इतिहासकार बी.एस. भटनागर द्वारा लिखित पुस्तक में भी यह वर्णन मिलता है। महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से प्रार्थना की है कि उक्त सीढ़ियों पर लोगों को आने जाने से रोका जाए तथा सीढ़ियों को खुदवा कर उनमें दफन किए गए विग्रहों को निकाल कर ठाकुर केशवदेव मंदिर में स्थापित किया जाए। वादी ने बताया कि इससे पूर्व पहले भी सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में यह दावा किया गया था, लेकिन तब अदालत ने पहले सभी प्रतिवादियों को 2 माह का नोटिस देकर पुनः दावा दाखिल करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद अब यह दावा सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में किया गया, लेकिन यह मामला त्वरित अदालत में सुना गया। वादीगण वकील महेंद्र प्रताप सिंह, भगवान शर्मा एवं दिलीप शर्मा ने बताया कि अदालत ने इसकी अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की है।

नकल गिरोहों पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के एक वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। डीजीपी मिश्रा ने कहा कि, भर्ती परीक्षाओं को स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए राजस्थान पुलिस तत्पर है। इसी का प्रतिफल है कि निरंतर ऐसे नकल गिरोहों को पकड़ा जा रहा है। मिश्रा ने बताया कि, रीट की भांति ही इस बार भी नकल गिरोहों को शिकंसे में लेकर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि, नकल करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को डीबार करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को लिखा जा रहा है।